

लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग


छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का वर्गवार/कक्षावार दर व नामर्स (10 मार्च 2020)

क्रं	योजना	कक्षा	वर्ग/लिंग	वार्षिक छात्रवृत्ति रु	आय सीमा/पात्रता			
01	राज्य छात्र वृत्ति	3री से 5वी	ST/SC की बालिका		500	कोई आय सीमा नहीं		
			ST/SC की बालिका		800			
		6वी से 8वी	ST/SC के बालक		600			
			OBC की बालिका		450			
			OBC के बालक		300			
02	प्री मैट्रिक	9वी से 10वी	OBC की बालिका		600	पालक/अभिभावक आयकर की सीमा में नहीं आते हो अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।		
			OBC के बालक		450			
			ST/SC की बालिका		1000			
			ST/SC के बालक		800			
			ST/SC छात्रावासी		4500			
			ST/SC गैर छात्रावासी		2250			
03	पोस्ट मैट्रिक	11वी से 12वी	ST/SC छात्रावासी		3800	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.00 लाख से अधिक हो।		
			ST/SC गैर छात्रावासी		2300			
			OBC के बालक बालिका				पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.00 लाख से अधिक न हो।	
			छात्रावासी		गैर छात्रावासी			
			बालक	बालिका	बालक			बालिका
			11 वी	1000	1100			500
12 वी	1000	1100	550	700				
04	कन्या साक्षरता	6वी	ST/SC की बालिका		500	कोई आय सीमा नहीं		
05	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति	ST/SC/OBC		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	कोई आय सीमा नहीं। किंतु राजस्व से प्रति वर्ष व्यवसाय प्रमाण पत्र आवश्यक है।		
		1ली से 2री		NIL	3000			
		3री से 10वी		8000	3000			

टीप- 1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विद्यार्थियों को उपरोक्त निर्धारित छात्रवृत्ति के अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित स्थानीय निधी फंड के मदों के शुल्क की राशि का पुनर्भुगतान (Reimburse) भी किया जाता है।

2. अस्वच्छ धंधा की छात्रवृत्ति के विद्यार्थियों को अन्य छात्रवृत्ति देय नहीं है।

3. कक्षा 9वी से 10वी में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति के नामर्स अनुसार बालक/बालिका की दर से छात्रवृत्ति देय है।


 उप संचालक,
 लोक शिक्षण संचालनालय,
 नया रायपुर